कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.04.2024

विषय:- थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा 01 अदद अवैध तमंजा 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त जगदीश सिंह गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 01 नफ़र अभियुक्त जगदीश सिंह पुत्र स्व लालचन्द्र सिंह निवासी ग्राम देवपालपुर थाना जन्सा कमि0 वाराणसी को आज दिनांक-21.04.2024 को समय करीब 03.50 बजे एस0एम0एस0 कालेज के पहले भदवर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंजा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-109/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जगदीश सिंह पुत्र स्व लालचन्द्र सिंह निवासी ग्राम देवपालपुर थाना जन्सा कमि0 वाराणसी, उम्र 34 वर्ष।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण- अभियुक्त जगदीश सिंह ने पूछताछ करने पर बताया कि मै आटो चलाता हूँ और रात विरात अकेले घूमता हूँ। मुझे एक आदमी मिला था जिसका नाम पता मै नही जानता उसने मुझसे कहा कि तुम रात मे अकेले चलते हो तुम्हे डर नही लगता तो मैने कहा क्या करें खर्च चलाने के लिए रात मे भी चलना पड़ता है तब उस आदमी ने यह तमंचा और 02 जिंदा करातूस मुझे दिया और बताया कि इसे अपने पास रखना, तब से मै शौकिया इसे अपने साथ सुरक्षार्थ लेकर चलता हूँ।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद नाजायज तमंजा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-299/2015 धारा 41/411/414/419/420 भादवि थाना रोहनियां कमि0 वाराणसी।

2.मु0अ0सं0-359/2018 धारा 411/413/419/420 भादवि थाना रोहनियां कमि0 वाराणसी।

3.मु0अ0सं0-234/2018 धारा 380 भादवि थाना रोहनियां कमि0 वाराणसी।

4.मु0अ0सं0-070/2015 धारा 392/411 भादवि थाना रोहनियां कमि0 वाराणसी।
5.मु0अ0सं0-360/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रोहनियां कमि0 वाराणसी।
6.मु0अ0सं0-359/2015 धारा 120बी/307 भादवि थाना सुरेरी जिला जौनपुर।
7.मु0अ0सं0-360/2015 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सुरेरी जिला जौनपुर।
8.मु0अ0सं0-278/2018 धारा 379/411 भादवि थाना कछवा जनपद मिर्जापुर।
9.मु0अ0सं0-279/2018 धारा 20 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पादर्थ अधिनियम थाना कछवा जिला मिर्जापुर।
10.मु0अ0सं0-282/2018 धारा 41/411 भादवि थाना कछवा जिला मिर्जापुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1- उ0नि0 विनीत कुमार गौतम थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
2- उ0नि0 ऋतुराज मिश्रा थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
3- हे0का0 सुनील कुमार यादव थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
4- का0 पवन यादव थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।